मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी संघ

M.P. Finance Service Officers Association

MPFSOA
Regn No. 20276

अध्यक्ष
रणजीत सिंह चौहान
7974031736

उपाध्यक्ष
आदित्य सिंह भदौरिया
7000451744
श्रीमती मनीषा मिश्रा
7000324540
श्रीमती अमिता श्रीवास्तव
6264452054

सचिव
विवेक कुमार घारू
9407532895

संगठन मंत्री
तेजनारायण सिंह
9425439707

सांस्कृतिक सचिव
बसंती आठ्या
9131570560

सह सचिव
चंद्रकांत साहू
8982838516
ऊषा सरयाम
9406542713
आशीष नंदनवार
9755949210

कोषाध्यक्ष
निखिलेश राकेशिया
9827063256

संघ प्रवक्ता
अरविंद कुमार गुप्ता
8989113860

कार्यकारिणी सदस्य
गुणवंत सेवतकर
राजेश मौर्य
अमन पस्तोर
अमर गांजरे
सुनील भदौरिया
रोशन लाल दोनेरिया
रविन अवास्या
अमित श्रीवास्तव
अमित कुमार यादव
योगेन्द्र श्रीवास्तव
रीना यादव
लक्ष्मी नारायण चौहान

क्रमांक 54 म.प्र.वि.से.अधि.सं. / भोपाल, दिनांक 8/12/22

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
म.प्र शासन, भोपाल

विषयः— राज्य वित्त सेवा अधिकारियों के पद नाम परिवर्तन करने के संबंध में।

—0—

आदरणीय महोदय,

राज्य वित्त सेवा के अधिकारी, विभिन्न विभागों में पदस्थ रहते हैं। इन अधिकारियों के पद नाम एक समान करने का प्रस्ताव पिछले 20 वर्षों से लंबित है—

1. सर्वप्रथम पद नाम परिवर्तन का प्रस्ताव दिनांक 08.03.2002 को तत्कालीन आयुक्त श्री जी.पी सिंघल (IAS-1980) द्वारा वित्त विभाग भेजा गया था। (पेज क्रं—1 अवलोकनार्थ)
2. तत्कालीन आयुक्त स्व. श्री टी. धर्माराव (IAS-1989) द्वारा दिनांक 17.10.2012 एवं 29.11.2012 को पुनः पद नाम परिवर्तन की औचित्य पूर्ण टीप सहित प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया था। (पेज क्रं—2,3,4 एवं 5 अवलोकनार्थ)।
3. पूर्व आयुक्त श्री एम.के अग्रवाल (IAS-2001) द्वारा दिनांक 29.02.2016 पुनः वित्त विभाग से वित्त सेवा अधिकारियों के पद नाम परिवर्तन पर प्रशासकीय अनुमोदन जारी करने का अनुरोध किया गया था। (पेज क्रं—6 अवलोकनार्थ)।
4. पूर्व आयुक्त सह ओ.एस.डी एवं पदेन प्रमुख सचिव, श्री आशीष उपाध्याय (IAS-1989) द्वारा वित्त सेवा अधिकारियों के पद नाम परिवर्तन की औचित्य पूर्ण प्रस्ताव पुनः वित्त विभाग को दिनांक 13.10.2015 को भेजा गया था।(पेज क्रं—7 अवलोकनार्थ)

कृपया कोष एवं लेखा संचालनालय के पूर्व आयुक्तों द्वारा भेजें गये, प्रस्तावों के अनुरूप समस्त BCO &DDO कार्यालयों में पदस्थ **वित्त सेवा अधिकारियों के पद नाम निम्नानुसार एक रूप करने के निर्देश वित्त विभाग को देने का कष्ट करें।**

क्रं.	वेतनमान / ग्रेड		नवीन प्रस्तावित पद नाम
1.	जूनियर स्केल	(लेवल—12)	सहायक आयुक्त (वित्त)
2.	सीनियर स्केल	(लेवल—13)	उप आयुक्त (वित्त)
3.	सेलेक्शन ग्रेड	(लेवल—14)	संयुक्त आयुक्त (वित्त)
4.	सीनियर सेलेक्शन ग्रेड	(लेवल—15)	अपर आयुक्त (वित्त)
5	सुपर टाईम ग्रेड	(लेवल—16)	1. अपर सचिव—सह—वित्तीय सलाहकार 2. संचालक—सह आयुक्त

अध्यक्ष
म.प्र वित्त सेवा अधिकारी संघ

Scanned with OKEN Scanner

संचालनालय कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

9; 1919 12. 8. 1

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय भोपाल ।

विषय:- राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों का पदनाम परिवर्तित करने के संबंध में
संदर्भ:- म0प्र0वित्त तथा लेखा सेवा अधिकारी संघ का पत्र क्रमांक 126 दिनांक

--

राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का नाम परिवर्तित कर राज्य वित्त सेवा कि... के फलस्वरूप,विभागीय अधिकारियों के पदनाम परिवर्तित करने हेतु म0प्र0वित्त ... सेवा अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संलग्न है । वर्तमान में संचालनालय कोष ... के अधीन अपर संचालक,संयुक्त संचालक,उप संचालक एवं सहायक संचालक के ... स्वीकृत है । वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 3.10.2002 ,द्वारा संचालक कोष एवं ... पदनाम परिवर्तित कर आयुक्त कोष एवं लेखा कर दिया गया है । अतः ... दृष्टिकोण से आयुक्त के अधीन कार्यरत अधीनस्थ अधिकारियों का पदनाम भी ... आयुक्त (अपर संचालक के समकक्ष) संयुक्त आयुक्त(संयुक्त संचालक के समकक्ष) ... आयुक्त (उप संचालक के समकक्ष) तथा सहायक आयुक्त (सहायक संचालक के समकक्ष)परिवर्तित किया जाना औचित्य पूर्ण प्रतीत होता है ।

2- संघ द्वारा आबकारी ,वाणिज्यकर एवं आदिम जाति कल्याण विभाग ... प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ही पदनाम नियत होने का उल्लेख किया ... म0प्र0वित्त एवं लेखा सेवा अधिकारियों द्वारा राज्य के आय-व्यय का संपूर्ण लेखा ... किये जाने के साथ-साथ विभिन्न विभागों में वित्त एवं लेखा संबंधी कार्य ... संचालन किया जाता है । इस परिपेक्ष्य में संघ द्वारा पदनाम परिवर्तित किये जाने ... प्रस्ताव से संचालनालय सहमत है । आगामी कार्यवाही शासन स्तर से की जाना है ।

आयुक्त

N/1

विषय:- वित्त सेवा अधिकारियों की पदनाम में परिवर्तन।

वित्त सेवा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पदनाम परिवर्तन करने पर प्रस्ताव दिया जाता है। इस संबंध में संचालनालय स्तर पर छानबीन करने पर ज्ञात हुआ है कि संचालनालय स्तर से पदनाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव पत्र क्रमांक 1419 दिनांक 08.03.2002 द्वारा तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा, श्री जी. पी. सिंघल द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया था।(छायाप्रति संलग्न)

संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक कार्यरत है। वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 03.10.2000 द्वारा संचालक कोष एवं लेखा का पदनाम परिवर्तित कर आयुक्त, कोष एवं लेखा कर दिया गया है। अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण से आयुक्त के अधीन कार्यरत अधिकारियों का नाम अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त एवं सहायक आयुक्त किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। अन्य विभागों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारी भी राज्य के आय में संपूर्ण लेखा संधारित करते है अतः विभागों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों को भी उपरोक्तानुसार पदनाम दिया जाना प्रस्तावित है।

पदनाम परिवर्तन में किसी भी तरह का व्यय भार नही आयेगा यह पूर्णतः प्रशासनिक मुद्दा है पदनाम परिवर्तन ~~परिवर्तन~~ करने के लिए प्रशासकीय आदेश जारी किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

प्रमुख सचिव
वित्त विभाग

आयुक्त
कोष एवं लेखा

क्र. 1417 सी.टी.ए.पी.ए./
आवक दिनांक
जावक दिनांक 17.X.2012

M/DN

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

संचालनालय, कोष एवं लेखा

मध्यप्रदेश

क्र/2012/ 3361

प्रति,

भोपाल, दिनांक- 29/08/2012

सचिव,
म0प्र0 शासन,
वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल।

विषय :- म0प्र0 वित्त सेवा अधिकारियों का पदनाम परिवर्तित करने के संबंध में।

संदर्भ :- वित्त विभाग का पत्र क्र 2830/2792/2012/ई/चार, भोपाल दिनांक 21.11.2012,

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत म0प्र0 वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम परिवर्तित करने के संबंध में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

1. संबंधित पदों का वेतनमान एवं भर्ती नियमों की प्रति संलग्न है।
2. तुल्नात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।
3. औचित्य टीप परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

कृपया पदनाम परिवर्तन के संबंध में संचालनालय से भेजे गये एकल नस्ती क्र0 1417, दिनांक 17.10.2012 की फोटोप्रति भी संलग्न है।

29/11/12
आयुक्त
कोष एवं लेखा

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

औचित्य टीप

परिशिष्ट-'अ'

1- प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी विभागाध्यक्ष का पदनाम आयुक्त हो गया है। अतः उनके अधीन वित्तीय कार्य करने वाले वित्त सेवा अधिकारी का नाम भी समरूप रखा जाना उचित है।

2- अन्य विभागों में जैसे- आदिम जाति कल्याण, पंचायत ग्रामीण विकास, सहकारिता में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत् पदनाम परिवर्तित कर दिये गये हैं, उसी तरह वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम भी परिवर्तित करना आवश्यक है।

3- संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 3-10-2000 द्वारा संचालक कोष एवं लेखा का पदनाम परिवर्तित कर आयुक्त कोष एवं लेखा कर दिया गया है। अतः अधीनस्थ अधिकारियों के पदनाम भी परिवर्तित कर दिये जाने भी औचित्यपूर्ण है।

4- पदनाम परिवर्तित करने की अनुशंसा संचालनालय में पदस्थ पूर्व आयुक्तों द्वारा ही की जाती ही है।

5- संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव प्रमुख सचिव वित्त को एकल नस्ती के माध्यम से दिनांक 17-10-2012 को भेजा गया है।

6- पदनाम परिवर्तन करने में किसी प्रकार का व्ययभार नहीं आएगा।

7- अन्य विभागों में सहायक/उप/संयुक्त/संयुक्त/अतिरिक्त/वित्तीय आयुक्त पदनाम करने में पद की पृथक पहचान बनी रहेगी।

8- संचालनालय सहित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में वित्त सेवा के एकसमान पदनाम हो जायेंगे। वर्तमान में अलग-अलग पदनाम स्वीकृत है जैसे:- उप संचालक का पदनाम कुछ विभागों में वित्त अधिकारी, कुछ में वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी, कुछ में उप संचालक, (वित्त) कुछ में उपायुक्त,(वित्त) कुछ में उप नियंत्रक,(वित्त) तथा कुछ विभागाध्यक्ष कार्यालयों में उप संचालक वित्तीय सलाहकार/वित्तीय सलाहकार है।

9- वित्त सेवा अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ रहते है तथा उस विभाग के आय एवं व्यय दोनों का वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबंधन एव ऑडिट करते है इस दृष्टि से सहायक/उप/संयुक्त/अतिरिक्त/वित्तीय आयुक्त रखा जाना उपयुक्त है।

10- पदनाम परिवर्तन करने में संचालनालय/अधिनस्थ कार्यालय/वित्त सेवा अधिकारियों की कोई आपत्ति नहीं हुई है एवं समय-समय पर वित्त सेवा अधिकारियों के संघ द्वारा पदनाम परिवर्तन करने की मांग की जाती रही है।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-अ

तुलनात्मक विवरण

क्र0	विभाग का नाम	वेतनमान एवं पदनाम				
		ग्रेड पे 5400	ग्रेड-पे 6600	ग्रेड-पे 7600	ग्रेड-पे 8700	ग्रेड-पे 8900
1	सहकारिता विभाग	सहायक आयुक्त	उपायुक्त	संयुक्त आयुक्त	अपर आयुक्त	-
2	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सहायक आयुक्त	उपायुक्त	संयुक्त आयुक्त	अपर आयुक्त	-
3	आदिम जाति कल्याण	अतिरिक्त सहायक आयुक्त	सहायक आयुक्त उप आयुक्त	उपायुक्त	अपर आयुक्त	संचालक
4	श्रम	श्रम अधिकारी	सहायक आयुक्त	उपायुक्त	अपर आयुक्त	-
5	वाणिज्यिक कर	वाणिज्यकर अधिकारी	सहायक आयुक्त	उप आयुक्त	अपर आयुक्त	-
6	आवकारी	आवकारी अधिकारी	सहायक आयुक्त	उप आयुक्त	अपर आयुक्त	-
7	परिवहन	क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी/ सहायक परिवहन आयुक्त	उपायुक्त उप परिवहन आयुक्त	संयुक्त आयुक्त उप परिवहन आयुक्त		-
8	वित्त विभाग	सहायक संचालक	उप संचालक	संयुक्त संचालक	अतिरिक्त संचालक	संचालक
9	वित्त विभाग के प्रस्तावित परिवर्तित नाम	सहायक वित्तीय आयुक्त	उपवित्तीय आयुक्त	संयुक्त वित्तीय आयुक्त	अपर वित्तीय आयुक्त	वित्तीय आयुक्त

उप संचालक
कोष एवं लेखा

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

विषय: विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन करने बाबत।

---00---

पूर्व पृष्ठ से -

नोट-शीट पृष्ठ क्रमांक-11 पर अंकित टीप का अवलोकन करने का कष्ट करें, इस संबंध मे संचालनालय कोष एवं लेखा का मत निम्नानुसार है:-

1. पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव पिछले 13 वर्षो से लंबित है। सर्वप्रथम पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त श्री जी0पी0 सिंघल द्वारा भेजा गया था।(ध्वज-ए अवलोकनार्थ) तत्कालीन समय भी इस प्रकरण को छठयें वेतनमान(01.01.2006) लागू होने तक स्थगित गया था।
2. तत्पश्चात् तत्कालीन आयुक्त स्व: श्री टी0धर्माराव द्वारा भी इस प्रकरण को 04 वर्ष पूर्व पुनः अनुशंसा सहित भेजा गया था। (ध्वज-बी अवलोकनार्थ) तब से यह प्रकरण वित्त विभाग में लंबित है।
3. वित्त विभाग द्वारा इस प्रकरण पर पूर्व आयुक्त कोष एवं लेखा के पदस्थापना के दौरांन औचित्य टीप मांगी गयी थी। संचालनालय द्वारा औचित्य टीप भी वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी गयी। (ध्वज-सी अवलोकनार्थ)
4. पदनाम परिवर्तन से कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है तथा सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की समरी (ध्वज-द) पर अवलोकनार्थ संलग्न है। वेतन आयोग द्वारा किंसी भी संवर्ग के पदनाम परिवर्तन के संबंध में कोई भी बिन्दु नहीं उठाया गया है।

इस संबंध में संचालनालय का विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकरण को अब और अधिक समय तक लंबित रखना उचित नहीं है। अतः कृपया प्रस्ताव पर पुर्नविचार करते हुये प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में निर्णय लेने का कष्ट करें।

24/02/16.

आयुक्त,
कोष एवं लेखा

अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग मंत्रालय

क्र/स्था./वि.क./राजपत्रित/फाइल/2016/672
दिनांक - 29/06/2016

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

उच्चीय / सचिवालय

विषय :— - विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन करने बाबत।

वित्त सेवा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पदनाम परिवर्तित करने का सुझाव दिया जाता रहा है इस संबंध में संचालनालय स्तर पर छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि संचालनालय स्तर से पदनाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा श्री जी०पी०सिंघल द्वारा अपने पत्र क्र० 1412 दि० 6-3-2002 द्वारा वित्त विभाग भेजा गया था(ध्वज-ए अवलोकनार्थ)। तत्पश्चात तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा श्री टी० धर्माराव द्वारा अपनी एफ०ए नस्ती क्र० 1412 दिनांक 17-2-2012 द्वारा पुनः वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया। (ध्वज-बी अवलोकनार्थ)। वित्त विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित करते हुये नस्तीबद्ध कर दिया गया था।

वित्त सेवा अधिकारी विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ रहते हैं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में इनके नाम पृथक-पृथक होने से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कुछ विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तो 3600 तथा 4200 ग्रेड पे के विभागीय अधिकारियों को भी लेखाधिकारी पदनाम दे दिया गया है जिससे वित्त सेवा के 5400 ग्रेड पे के लेखाधिकारियों के मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। यही स्थिति अन्य ग्रेड-पे के अधिकारियों के साथ भी हो रही है।

अतः वर्तमान में वित्त विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष कार्यालयों के साथ-साथ अन्य समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों का एक समान पदनाम किया जाना पुनः प्रस्तावित है।

अतः वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन करने का औचित्य परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। अतः वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम एकरूप करते हुये निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है:-

कमांक	ग्रेड-पे	नवीन पदनाम
1	5400	सहायक वित्तीय आयुक्त
2	6600	उप वित्तीय आयुक्त
3	7600	संयुक्त वित्तीय आयुक्त
4	8700	अतिरिक्त वित्तीय आयुक्त
5	8900	संचालक / वित्तीय सलाहकार

उपरोक्तनुसार पदनाम संशोधन के लिये मान० मंत्रीजी से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

अनुमोदनार्थ।

12.10.2015

(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव वित्त एवं
वि०क०अधि०-सह आयुक्त

अपर मुख्य सचिव (वित्त)

क्र/वित्तो/निकौ/राजपत्रित/DTA/2015/1089
दिनांक - 13/10/2015

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner